ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे0 मि0 केस सं0–06/2021–22

मु0 छेदी बनाम् मु0 सुलमान वगै0

28-02-2023

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदक मु0 छेदी, पे0–स्व0 मु0 इदरीश उर्फ इद्दु साकिन–बासकीकित्ता, पो0–मड़पा, थाना–बलबड्डा, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा–बासकीकित्ता नं0–403, जमाबंदी नं0–8 के दाग नं0–9 एवं जमाबंदी नं0–10 के दाग नं0–38, 40, 56, 60 83, 89, 133, 139, 140, 198 अन्तर्गत कुल जमीन का 1/3 हिस्सा 05–14–06 धूर भूमि विपक्षी (1) मु0 सुलेमान, (2) मु0 हेदीश, दोनों पे0–स्व0 गौहर अली (3) मु0 सिद्दीक उर्फ छंगुरी (4) मु0 शहाबुउद्दीन (5) मु0 रमजानी, तीनों पे0–स्व0 गौहर अली (6) मु0 सलामत (7) मु0 सल्लो, दोनों पे0–ताज अली, सभी साकिन–बासकीकित्ता, पो0–मड़पा, अंचल–मेहरमा, थाना–बलबड्डा से संबंधित है, के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ किया गया। तद्नुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–646/रा0, दिनांक–21.09.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि उभय पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज है, किन्तु कैफियत कॉलम में दखल क्यारी जमाबंदी रैयत के अलग–अलग नाम से अंकित है। विपक्षी के द्वारा बदलनामा का जिक्र किया गया है, किन्तु इस संदर्भ में कोई वैध दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। पर्चा के कैफियत कॉलम में दर्ज नाम के वंशजों का संबंधित दाग नं0 पर दखल होना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, मेहरमा को आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

28.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Subhash Chandra Roy
17/4/23

Seen
Bimal Kumar Singh
Adv
17/04/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.28 15:39:28 +05:30
Location: 192.168.8.116